निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण सख्या:—142/2022 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक:— 04/04/2022
निर्णय दिनांक:— 21/10/2024

अनवान

मैसर्स श्री कृष्णा ग्रेनाईट, हाउस नम्बर 19 गोकुलधाम सांगानेर रोड़, भीलवाड़ा अधिकृत पार्टनर

1. राजेन्द्र कुमावत पिता मोहनलाल कुमावत निवासी 55 कर्मयोग पार्क पार्ट—2 वास्तरल अहमदाबाद गुजरात
2. सुरेन्द कुमार जैन पिता बाबुलाल जैन निवासी गांव छोटी बिजोलिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा
3. किशन कुमावत पिता मोहनलाल कुमावत निवासी 55 कर्मयोग पार्क पार्ट—2 वास्तरल अहमदाबाद गुजरात
4. गोपाललाल मालवीय पिता देवीलाल मालवीय निवासी सलावटिया जिला भीलवाड़ा
5. अरविन्द्र कुमार आमेटा पिता कैलाशचन्द्र आमेटा निवासी जोधडास तहसील आसीन्द, कालियास जिला भीलवाड़ा
6. अक्षय कुमार आमेटा पिता कैलाशचन्द्र आमेटा निवासी जोधडास तहसील आसीन्द, कालियास जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मैसर्स गिरीजा ग्रेनाईट, सालियों का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. तहसीलदार देवगढ़ जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की आप न्यायालय के उपखण्ड में विद्यमान ग्राम सालियों का ख़ेड़ा पटवार हल्का आंजणा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे की कृषि भूमि आराजी संख्या 113, 114 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0400 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की हैं इस भूमि से आगे अप्रार्थी संख्या 01 मैसर्स गिरीजा ग्रेनाईट, सालियों का खेड़ा की भूमि आराजी संख्या 108, 109, 110 स्थित हैं जिससे होकर प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात में प्रवेश कर सकता हैं व पगडण्डी रूपी रास्ते से अपनी भूमि में प्रार्थी आ जा रहा हैं तथा इसी आराजी से प्रार्थी कृषि उपकरण, हल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर कल्टी इत्यादि का आवागमन अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में होकर किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि के अलावा प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 रास्ता देने को तैयार नहीं है। प्रार्थीगण का उद्देश्य प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन कर उसका उपयोग उपभोग करना है। प्रार्थी की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 में भागीदार, कर्मचारी एवं मजदूर वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर रहे वाहन, ट्रेक्टर ट्रोली, ट्रक, ट्रेलर, जेसीबी, एलएनटी, मशीनरी ला ले जा रहे हैं तथा लम्बे समय से खुले तौर पर निरन्तर निर्विघ्न अप्रार्थी संख्या 01 की जानकारी में प्रार्थी एवं उनके पूर्वाधिकारियों का इसी रास्ते से आवागमन रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 की उक्त वर्णित भूमि में से 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया हैं जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के भागीदार, कर्मचारी एवं मजदूर आ जा सके एवं अपने वाहन, मशीनरी, उपकरण इत्यादि ला लेजा सकेंगे। प्रार्थीगण को अपने भूमि में आवागमन के अधिकार बाधित होकर प्रार्थी अपनी भूमि आराजी संख्या 113, 114 में आने जाने से वाहन, ट्रेक्टर ट्रोली, ट्रक, ट्रेलर, जेसीबी, एलएनटी, मशीनरी आदि ले जाने से वंचित हो जायेगें। इस आराजी संख्या 107, 108, 109, 110 के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि में जाने का नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी संख्या 108, 109, 110 में से प्रार्थीगण की आराजी संख्या 113, 114 में आवागमन रास्ता 15 फीट चौड़ा को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रास्ते के रूप में कायम किया जाना आवश्यक हैं जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इस रास्ते को राजस्व

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

रिकार्ड में कायम करने के लिये जो भी मुआवजा राशि न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं प्रार्थी अदा करने के लिये तैयार है। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार देवगढ़ भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं अन्यथा इनके विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गई है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 108, 109, 110 भूमि में से आवागमन का रास्ता जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में दिया गया है उस 15 फिट चौड़े रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कायम किया जावें एवं रास्ते की भूमि को बिलानाम दर्ज की जाकर प्रार्थी का आवागमन सुनिश्चित किया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 01 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तहसीलदार देवगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार ग्राम सालियों का खेड़ा मैसर्स श्री कृष्णा ग्रेनाईट के आराजी संख्या 113, 114 पर पहुंचने हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई भी रास्ता दर्ज नहीं है। मौके पर मैसर्स श्री कृष्णा ग्रेनाईट के आराजी संख्या 113 व आराजी संख्या 114 पर आने जाने के लिए कच्चा रास्ता बना हुआ है उक्त कच्चा रास्ता आराजी संख्या 518/107, 520/107, 108, 110 मैसर्स गिरजा ग्रेनाईट, आराजी संख्या 111, 519/107 खातेदार भंवरसिंह, महावीरसिंह, शक्तिसिंह पिता उम्मेदसिंह की खातेदारी भूमि एवं आराजी संख्या 112 किस्म गै0मु0 नाली बिलानाम सरकार से होकर गुजरात है। जिसकी लम्बाई लगभग 137 मीटर है जो ग्राम बिलाखी व ग्राम सालियों का खेड़ा की सीमा पर बने राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते से प्रार्थी की माईन्स के मध्य है। परन्तु प्रार्थी उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाना चाहता है क्योंकि उक्त रास्ता गिरीजा ग्रेनाईट के मध्य से निकलता है। उक्त रास्ते की चौड़ाई 15 फीट है तथा रास्ते का कुल 0.0764 हैक्टेयर है। प्रार्थी आराजी संख्या 518/107, 520/107, 108, 109, 110 मैसर्स गिरजा ग्रेनाईट तथा आराजी संख्या 112 किस्म गै0मु0 नाली बिलानाम सरकार के पूर्व दिशा से रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। मौके पर बने रास्ते से मैसर्स गिरजा ग्रेनाईट के दोनों तरफ हिस्सा हो जायेगा इसलिये प्रार्थी मौके पर बने रास्ते के बजाय आराजी संख्या 518/107, 520/107, 108, 109, 110, 112 के पुर्व दिशा के तरफ से रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 327631 रूपये प्रति हैक्टर है जिसका 02 गुणा 50062 रूपये बनता जो राशि राजकोष में जमा योग्य है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर आने जाने के लिए इस भूमि के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है एवं 20 फीट रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार देवगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए मांगा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए में प्रतिपादित है किः– [251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम सालियों का खेड़ा पटवार हल्का आंजणा तहसील देवगढ में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 113, 114 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0400 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु आराजी संख्या 520/107, 518/107, 108, 109, 110, 112 में तहसीलदार, देवगढ़ की रिपोर्ट अनुसार बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी से उक्त रकबे की वर्तमान प्रचलित पंजीयन दर अनुसार दो गुना राशि वसुल कर

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार नियमानुसार राशि भुगतान की कार्यवाही की जावे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द